छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका(दांडिक) क्र. 812/2011

याचिकाकर्तागण मेसर्स मातोश्री डेवलर्स

व अन्य

विरूद्घ

उत्तरदातागण छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की उद्घोषणा हेतू दिनाँक 11 अगस्त 2011 को सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षर

श्री सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (दांडिक) क्र. 812/2011</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> मेसर्स मातोश्री डेवलर्स

व अन्य

<u>विरूद्घ</u>

<u>उत्तरदातागण</u> छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकलपीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थितः श्री वी. जी. तामस्कर, याचिकाकर्तागण हेतु अधिवक्ता

श्री वी. वी. एस. मूर्ति, राज्य हेतु उप महाधिवक्ता

.....

(<u>दिनाँक को 11/08/2011 पारित</u>)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने अपराध क्र. 241/2010 को रद्द करने की मांग की है, जो पुलिस थाना सरसींवा, जिला रायपुर में भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 420 एवं 120-ख के तहत दंडनीय अपराधों हेतु दर्ज की गई है।

2. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत, संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता क्र.1 एक पंजीकृत भागीदारी फर्म है, जबकि याचिकाकर्ता क्र. 2, याचिकाकर्ता क्र. 1 का एक भागीदार है। भागीदारी विलेख दिनांक 3-7-2009 (अनुलग्नक - पी/1) को निष्पादित किया

गया था और फर्म एवं सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 1-1-2010 को पंजीकरण प्रमाण पत्र (अनुलग्नक - पी/2) जारी किया गया था।

3. याचिकाकर्तागण के अनुसार, दि. 4-7-2009 को, याचिकाकर्ता सोसाइटी और रॉयल विजन केयर मार्केटिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व प्रतिवादी क्र.6, जिसे याचिकाकर्तागण के अनुरोध पर और उन्हीं के जोखिम पर इस न्यायालय के आदेश दि. 13-7-2011 द्वारा विलोपित कर दिया गया है) के मध्य कतिपय अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु एक लिखित करार हुआ था। उक्त करार के अनुसार, रॉयल विजन के लिए 90 दिनों के भीतर करार के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक था, किंतु सूचना के बावजूद वह ऐसा करने में विफल रहे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता क्र.2 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दं.प्र.सं.") की धारा 91 के तहत, विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ, रायपुर के कार्यालय से एक नोटिस, क्र. 31सी/रेल 73/11 दिनाँक 20-1-2011 (अनुलग्नक- पी/4) प्राप्त हुआ। याचिकाकर्तागण का तर्क यह है कि अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त कुल 5.00 करोड़ रु याचिकाकर्ता क्र. 1 द्वारा बैंक अर्थात् 'ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स' में जमा कर दिए गए हैं, जैसा कि दि.1-4-2010 से 31-12-2010 तक के तलपट (अनुलग्नक-पी/5) से स्पष्ट है,और आयकर विभाग के समक्ष रिटर्न भी दाखिल कर दिया गया है जिसे अनुलग्नक-पी/6 में देखा जा सकता है। प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा याचिकाकर्ता क्र. 1 को न तो समन भेजा गया है और ना ही दं.प्र.सं. की धारा 91 के तहत कोई नोटिस दिया गया है, परंतु याचिकाकर्ता क्र. 2 व अन्य भागीदारों को भा.दं.सं. की धारा 420 व 120-ख के तहत दंडनीय अपराधों हेतु दर्ज अपराध क्रमाँक 241/2010 में गिरफ्तार करने की धमकी दी गई है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत है।

5. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तामस्कर ने यह तर्क किया है कि याचिकाकर्ता क्र. 1 या उसके किसी भी भागीदार ने कोई अपराध नहीं किया

है। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "अधिनियम, 1973") की धारा 37(2) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि वह रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर न हो इसलिए, प्रतिवादी प्राधिकारियों द्वारा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध लिया गया संज्ञान अधिकारिता रहित है और इस प्रकार, वह अवैध है।

6. श्री तामस्कर ने आगे यह तर्क दिया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम, 1956") की धारा 235 के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, वहाँ केंद्र सरकार अधिनियम, 1956 की धारा 237 के प्रावधानों के तहत और परिस्थितियों के आधार पर अन्य मामलों में भी, कंपनी के मामलों की जाँच के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है; और इस प्रकार, याचिकाकर्ता सोसाइटी और रॉयल विजन के विरुद्ध दर्ज दांडिक मामले अवैध हैं। प्रतिवादी क्र 3 द्वारा याचिकाकर्तागण को जारी की गई सूचना दांडिक विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री तामस्कर ने आगे यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्तागण की कोई भूमिका नहीं है तथा याचिकाकर्तागण द्वारा आक्षेपित अपराध कारित नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता क्र. 1 के भागीदार का जांच में पूर्ण सहयोग कर रहा है, जैसा कि याचिकाकर्ता क्र. 1 के भागीदार सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ, रायपुर को लिखे गए पत्र दिनांक 22-1-2011 (अनुलग्नक -आर/5) से स्पष्ट है। संपूर्ण धनराशि बैंक खाते में रखी गई है, इसलिए, किसी भी व्यक्ति को छल करने का कोई आशय नहीं था और इस प्रकार, याचिकाकर्तागण के विरुद्ध शुरू की गई दांडिक कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।

8. दिनांक 10-2-2011 के आदेश के अनुपालन में, राज्य ने रिट याचिका में लगाए गए आरोपों से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्तागण के विरुद्ध आक्षेपित कार्यवाही पूरी तरह से विधि के अनुसार की गई है। रिपोर्ट के कंडिका 4 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम मनपसार, भटगाँव के कतिपय ग्रामीणों द्वारा रॉयल विजन और उसके एजेंटों के विरुद्ध छल और आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट (अनुलग्नक- आर/1) दी गई है। उक्त शिकायत के आधार पर मामले का अन्वेषण किया गया, आरोप पत्र दायर किया गया और तदुपरान्त, अपराधियों अर्थात् रॉयल विजन के एजेंटों और प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा वे वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। सक्षम न्यायालय के समक्ष दि. 20-2-2011 को अंतिम प्रतिवेदन (अनुलग्नक-आर/2) प्रस्तुत कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विवेचना के दौरान अधिकारियों ने पाया कि याचिकाकर्ता क्र. 1 और उसके भागीदारों ने कुछ भूमियों के संबंध में एक मिथ्या करार निष्पादित किया है, बावजूद इसके कि उक्त भूमियाँ याचिकाकर्तागण के नाम पर दर्ज नहीं हैं। उन्होंने रॉयल विजन से 5.00 करोड़ रु की राशि प्राप्त की और इस प्रकार विक्रय का कूटरचित करार निष्पादित करके छल कारित किया है। याचिकाकर्ता पुलिस द्वारा मामले की जाँच में बाधाएँ उत्पन्न कर रहे हैं। विवेचना के दौरान याचिकाकर्तागण को नोटिस तामील किए गए हैं। याचिकाकर्तागण ने उनका उत्तर तो दिया है, परंतु वे संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से बच रहे हैं।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिवचनों और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का सम्यक परिशीलन किया है।

11. अपराध क्र. 241/10 में प्रारंभिक विवेचना के पश्चात, जो कि भा. दं. सं. की धारा 420, 409, 120-ख, 411 एवं 414 और इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम्स

(पाबंदी) अधिनियम 1978 (संक्षेप में "अधि., 1978") की धारा 4 एवं 5 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था, दं.प्र.सं. की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। अंतिम रिपोर्ट का सुसंगत अंश इस प्रकार है:

"घटना का संक्षिप्त विवरण:—

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हेतराम टैगोर पिता मेहत्तर लाल टैगोर, उम्र 44 वर्ष, पता ग्राम मनपसार व अन्य लोगों की लिखित रिपोर्ट पर थाना सरसींवा, जिला रायपुर में अपराध क्र. 241/10, धारा 420, 120ख भादवि दिनांक 29.11.2010 को कायम कर प्रकरण की डायरी अग्रिम विवेचना हेतु विशेष अनुसंधान सेल, जिला रायपुर को प्राप्त हुई। प्रकरण की विवेचना किया गया। विवेचना में पाया गया कि रॉयल विजन केयर मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्रा.लि. मदुराई के मैनेजिंग डायरेक्टर एम. बेलायुथा कुमार पिता माधवन जाति यादव उम्र 36 वर्ष, पता कार्यालय मदुराई ने बिना भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमति के बगैर लोगों को झूठा आश्वासन देकर आपराधिक षड़यंत्र रचकर लोगों को कम से कम 10,000/- एवं इससे अधिक रकम जमा करने पर एक से 10 माह तक 12%,11 से 20 माह तक 14% एवं 21 माह से 30 माह तक 16% ब्याज देने का एवं 31 माह के बाद मूलधन पूरा राशि वापस देने का झूठा प्रलोभन आश्वासन देकर सन् 2009 के पूर्व स्कीम चलाकर अपने आर.वी.सी. कम्पनी के आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एकाउन्ट नं. 601705003861 एवं स्टेट बैंक में रकम जमा करवाया। प्रार्थी एवं आम लोगों ने आरोपी के झूठे वादे में आकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर ब्याज मिलने की लोभ में आकर रूपये जमा किये। आरोपी ने रूपये प्राप्त होने की आर.वी.सी. कम्पनी का बॉण्ड पेपर आई.डी.नम्बर सहित एवं ए.टी.एम.कार्ड एवं चेक प्रदाय किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपी एम. बेलायुथा कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर ने दो चार माह तक लोगों को ए.टी.एम. या चेक के माध्यम से ब्याज की राशि अदा किया। आरोपी के आर.वी.सी. कम्पनी के बैंक एकाउन्ट में कई हजार लोगों ने स्कीम के तहत रूपये जमा किये। तब आरोपी न अपने आर.वी.सी. कम्पनी का कारोबार माह नवम्बर सन् 2009 में बंदकर आम जनता द्वारा जमा किये गये रूपयों को छल कपट कर बेईमानी से रकम हड़प कर लिया। आरोपी के कंपनी में रुपये जमा कराने से आरोपी राजेश कुमार अग्रवाल पता बिलासपुर, रमेश पाण्डेय बिलासपुर एवं राजू आनंद ने आर.वी.सी. कम्पनी प्रा. लि. मदुराई के नाम रुपये जमा कराने के लिये लोगों से रुपये प्राप्त कर राजेश अग्रवाल के पास ले जाकर जमा करता था।किसी को पावती नहीं देता था। आर.वी.सी. कम्पनी बंद हो गया तब राजू आनंद ने लोगों से आर.वी.सी. कम्पनी का बॉण्ड पेपर, ए.टी.एम. कार्ड कंपनी में जमा करने के बाद रुपये मिलने का झूठा आश्वासन देकर बॉण्ड पेपर , ए.टी.एम. कार्ड कम्पनी को वापस कर दिया। कई लोगों के पास रुपये जमा पावती बाबत् कुछ भी नहीं रहा। आरोपी राजेश कुमार अग्रवाल ने लोगों से प्राप्त रूपये अपने बैंक एकाउंट में रूपये जमा कर बाद में आर.वी.सी. कम्पनी के नाम पर रूपये जमा करना बैंक एकाउंट से प्रमाणित पाया। आरोपी रमेश पाण्डे भी सेमीनार में आर.वी.सी. कम्पनी के पक्ष में काम कर लोगों को रूपये जमा करने प्रोत्साहित करना पाया। आरोपी एम.बेलायुथा कुमार ने रिजर्व बैंक के अनुमति बिना अनुमति के लोगों को ब्याज की अलग-अलग अवधि के लिये स्कीम चलाकर प्रथम सूचना में उल्लेखित तथा हजारों व्यक्तियों से अपने एजेन्टों के माध्यम से करोड़ों रूपये की राशि अपने रॉयल विजन केयर मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड मदुराई के नाम बैंक एकाउंट में रूपये जमा कराकर आम लोगों से छल कपट कर करोड़ों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूपये की स्कीम चलाकर हड़पकर गबन करना पाया गया। आरोपी एम बेलायुथा कुमार द्वारा आम लोगों से राशि हड़पने के लिये अपराधिक षड़यंत्र के तहत आरोपी ने मातोश्री डेवलपर्स के संचालक उमाशंकर श्रीवास्तव, मुक्ता श्रीवास्तव, बिलासपुर एवं सुनील ओझा व सुभाष शर्मा, पता रायपुर के साथ मिलकर माइंड मिटिंग कर जमीन खरीदने का कथित फर्जी बोगस एग्रीमेन्ट तैयार कर 20.44 हेक्टेयर जमीन 23 लाख 50 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से सौदाकर 5 करोड़ रूपये आर.टी.जी.एस. चेक एवं नगद 2 करोड़ रूपये के रूप में मातोश्री डेवलपर्स के संचालकों को दिया गया। जबकि मातोश्री डेवलपर्स के नाम दिनांक 04.09.2009 की स्थिति में ग्राम गनौद में कोई भी जमीन पटवारी रिकार्ड में दर्ज नहीं था आम जनता को दिखने के लिये फर्जी बोगस एग्रीमेन्ट करना पाया। प्रकरण में आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी 1.राजेश कुमार अग्रवाल पिता सीताराम अग्रवाल, 30 वर्ष, 2. रमेशकुमार पाण्डे पिता श्री के.एल. पाण्डे, उम्र 35 वर्ष, पता बिलासपुर, 3. राजू आनंद ननकी छेडू, उम्र 28 वर्ष ग्राम मनपसार एवं आरोपी 4. एम. बेलायुथा कुमार पिता माधवन यादव, उम्र 36 वर्ष पता 185-ए शांथिया किनाथू - 1 लेन, विल्लीपुत्तुर थाना विल्लीपुत्तुर जिला विरूद्धनगर तमिलनाडु को गिरफ्तार कर रिमाण्ड में भेजा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण में प्रार्थी एवं अन्य लोगों से विजन केयर मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा जारी आई.डी. बॉण्ड पेपर, चेक व ए.टी.एम. कार्ड, दो सी.डी. एवं एक सी.पी.यू. मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया है। आरोपी एम. बेलायुथा कुमार द्वारा आर.वी.सी. कंपनी के आई.डी.एन. के 8706 मेम्बरों की सूची उपलब्ध कराया गया, सूची

मिलान करने से कई करोड़ रूपये हड़प करना पाया गया। विवेचना दौरान धारा 409, 411, 414 भा.द.वि. 4, 5 प्राईज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 जोड़ी गई है। मातोश्री डेवलपर्स के संचालकों द्वारा आरोपी एम. बेलायुथा कुमार द्वारा जनता से हड़पी गई गबनित राशि को जानते हुए आपराधिक दुर्विनियोग कर आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होकर 5 करोड़ रूपये प्राप्त कर लिया एवं एक डेढ़ साल की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई जमीन आरोपी एम. बेलायुथा कुमार के नाम रजिस्ट्री नहीं किया। दोनों की आपराधिक षड़यंत्र संलिप्तता पूर्ण रूप से प्रमाणित पाया गया। प्रकरण में मातोश्री डेवलपर्स के संचालक आरोपीगणों को गबनित राशि जप्त कराने धारा 91 सी.आर.पी.सी. की नोटिस भेजा गया। तब से आरोपी गण सकूनत से फरार होकर गबनित राशि को इधर-उधर करने का प्रयास करने लगे। तलाश-पतासाजी की जा रही है। प्रकरण में गिरफ्तार चारों आरोपियों द्वारा आम लोगों के साथ छल-कपट कर स्कीम चलाकर आपराधिक षड़यंत्र कर करोड़ों रूपये हड़प करना एवं गबनित राशि को आपराधिक दुर्विनियोग करना सिद्ध पाये जाने से गिरफ्तार चारों आरोपियों के रिमाण्ड अभियोग पत्र 17/11 दिनांक 20.02.2011 तैयार किया गया है। जो न्याय हेतु न्यायालय प्रस्तुत है। प्रकरण में मातोश्री डेवलपर्स के संचालकों द्वारा आरोपी एम. बेलायुथा कुमार द्वारा जनता से हड़पी गई गबनित राशि को जानते हुए जमीन बिक्री करने का फर्जी बोगस एग्रीमेन्ट दिनांक 04.07.09 को तैयार कर 5 करोड़ रूपये आपराधिक षड़यंत्र रचकर प्राप्त कर आपराधिक दुर्विनियोग करना एवं गबनित राशि जप्ती नहीं कराकर निहीत स्वार्थ में उपयोग करना पाया गया। प्रकरण में मातोश्री डेवलपर्स के संचालकों का तलाश पतासाजी किया गया। सभी सकूनत से फरार है। तलाश पतासाजी जारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकरण में और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है।प्रकरण में अन्य आरोपियों के खिलाफ से पृथक से 173(8) जा.फौ. के तहत कार्यवाही की जाती है।"

12. श्री तामस्कर का यह तर्क है कि केवल सहकारी सोसायटियों का रजिस्ट्रार या उसके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ही अधिनियम, 1973 के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। इस प्रतिपादना पर कोई विवाद नहीं है, तथापि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्तागण द्वारा कथित अपराध अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत कारित नहीं किए गए हैं और इस प्रकार, पुलिस द्वारा दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत मामले की जाँच विधिसम्मत ढंग से की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्तागण ने रॉयल विजन के एजेंट के रूप में कार्य किया है। इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाता क्र. 6 (रॉयल विजन) का नाम याचिकाकर्तागण के व्यय पर विलोपित कर दिया गया था। राज्य द्वारा कुछ अन्य दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए गए हैं, विशेष रूप से ग्रामीणों के कथन, जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता क्र. 1 और उसके भागीदारों ने उनके प्राधिकार के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया है, क्योंकि वे न तो याचिकाकर्ता क्र. 1 और उसके भागीदारों को जानते हैं और न ही रॉयल विजन को।

14. प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज समस्त तथ्यों और अन्य दस्तावेजों, अर्थात् पुलिस द्वारा प्रस्तुत विभिन्न ग्रामीणों के कथनों पर विचार करने के उपरांत, यह ऐसा प्रकरण नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि विवेचना करने और तत्पश्चात आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, जो याचिकाकर्तागण के विरुद्ध विचारण का आधार बनता हो।

15. *उमाशंकर गोपालिका विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य*[1] के मामले में, जिस पर याचिकाकर्तागण द्वारा भरोसा जताया गया है, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि परिवाद से किसी भी दांडिक अपराध का प्रकटीकरण नहीं होता है और मामला पूर्णतः सिविल विवाद की प्रकृति का है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोप-पत्र को रद्द किया जा सकता है।

16. *वीर प्रकाश शर्मा विरूद्ध अनिल कुमार अग्रवाल एवं अन्य*[2] के मामले में, जिस पर श्री तामस्कर द्वारा भरोसा जताया गया है, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि संबंधित न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह दर्शित हो कि वाद-हेतुक का कोई भी हिस्सा संबंधित न्यायालय के भीतर उत्पन्न हुआ था। अतः विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिए जाने की कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। यह (मामला) वर्तमान मामले के तथ्यों के सुसंगत नहीं है, क्योंकि संपूर्ण वाद-हेतुक सक्षम मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के भीतर ही उत्पन्न हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. *एम.ए.ए. अन्नामलाई विरूद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य*[3] का मामला कंपनी के निदेशक के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के संबंध में है, जो वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए सुसंगत नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता अधि., 1973 के प्रावधानों के तहत एक पंजीकृत भागीदारी फर्म है , अतः अधिनियम, 1956 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे।

18. उच्चतम न्यायालय ने *अशोक बसक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*[4] के मामले में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

---

1 (2005) 10 SCC 336
2 (2007) 7 SCC 373
3 (2010) 8 SCC 524
4 (2010) 10 SCC 660

"16. दोनों पक्षों के तर्कों के गुण-दोष का परीक्षण करने से पूर्व, संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकारिता की सीमा और दायरे का संक्षिप्त संज्ञान लेना उचित होगा। इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं है कि यद्यपि उक्त प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बहुत विस्तृत है, परंतु यह निरंकुश नहीं है। उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग विरल रूप से, सावधानीपूर्वक और सतर्कता के साथ, वास्तविक और ठोस न्याय करने हेतु तथा न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए *न्याय के हित में* करना आवश्यक है। ऐसी स्थितियों में से एक, जब उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में न्यायोचित होगा, वह है जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोपों को, जैसा भी मामला हो, उनके अंकित मूल्य पर लेने और पूर्णतः स्वीकार करने पर भी, वे कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं। (देखें: आर.पी. कपूर विरूद्ध पंजाब राज्य एवं रूपन देओल बजाज विरूद्ध कंवर पाल सिंह गिल)।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. *वी.पी. श्रीवास्तव विरूद्ध इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड एवं अन्य*[5] के मामले में, उच्च--तम न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

"18. जी. सागर सूरी विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अपनी राय व्यक्त की थी: (एस.सी.सी. पृष्ठ 643, पैरा 8)

"8. संहिता की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। अपने अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय को मामले

5 (2010) 10 SCC 361

का सतही तौर पर परीक्षण नहीं करना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई मामला, जो मूल रूप से सिविल प्रकृति का है, उसे दांडिक अपराध का आवरण तो नहीं पहना दिया गया है। दांडिक कार्यवाही विधि में उपलब्ध अन्य उपचारों का कोई संक्षिप्त रास्ता नहीं है। आदेशिका जारी करने से पहले एक दांडिक न्यायालय को बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अभियुक्त के लिए यह एक गंभीर मामला होता है। इस न्यायालय ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय को संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना है। इस धारा के तहत अधिकारिता का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. *बिहार राज्य एवं अन्य विरूद्ध पी.पी. शर्मा, आई.ए.एस. एवं अन्य*[6] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि *"जब विवेचना पूर्ण होने के पश्चात दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज दी गई हो और विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्रित की गई सामग्री न्यायिक संवीक्षा के अधीन हो, तो उच्च न्यायालय के लिए यही उचित होगा कि वह स्वयं को अनुशासित रखे और उस चरण पर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्दकरण की कार्यवाही न करे।"*

21. आगे, पैरा 70 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

---

6 1992 Supp (1) SCC 222

"70 ..... इसे इस रूप में नहीं माना जा सकता कि इस न्यायालय ने विधि के एक सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक मामले में न्यायालय प्रारंभिक स्तर पर ही इस बात का परीक्षण करेगा कि आरोपों के आधार पर दोषसिद्धि की अंतिम संभावनाएं क्या होंगी और कार्यवाही या आरोप-पत्र को निरस्त करने के लिए धारा 482 या अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा। सिराजुद्दीन के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान बरती गई गंभीर अशक्तता पर ध्यान देने के बावजूद, अभियोग-पत्र को रद्द नहीं किया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. *हरियाणा राज्य एवं अन्य विरूद्ध भजन लाल एवं अन्य*[7] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने व्यापक सिद्धांतों को निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:

"102. संहिता के अध्याय **XIV** के विभिन्न सुसंगत प्रावधानों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में और इस न्यायालय द्वारा अनुछेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के आलोक में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्तियों का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि यह संभव नहीं है कि कोई

7 1992 Supp (1) SCC 335

सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित किए जाएं और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची दी जाए जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।"

(1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोपों को, यदि उनके उसी रूप में लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी वे प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और अन्य सामग्रियाँ, यदि कोई हों, एफआईआर के साथ संलग्न संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराती हो, सिवाय किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत संहिता की धारा 155(2) के क्षेत्र के।

(3) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए अविवादित आरोप और उनके समर्थन में एकत्रित साक्ष्य, किसी अपराध के किए जाने का प्रकटीकरण और अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल एक

असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहाँ संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी विवेचना की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने निरर्थक और मूलतः असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायोचित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत दांडिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही को संस्थित करने या जारी रखने पर कोई सुस्पष्ट विधिक रोक लगाई गई हो, और/या जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण हेतु प्रभावकारी समाधान प्रदान करने का कोई विशिष्ट प्रावधान मौजूद हो।

(7) जहाँ कोई दांडिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो और/या जहाँ कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के परम उद्देश्य से, द्वेषपूर्वक संस्थित की गई हो और निजी एवं व्यक्तिगत वैर के कारण उसे प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से की गई हो।

103. हम इस आशय की एक सावधानी की टिप्पणी भी देते हैं कि दांडिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग बहुत ही विरल रूप से और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए, और वह भी विरलतम से विरल मामलों में; कि न्यायालय एफआईआर या परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता की जाँच शुरू करने के लिए न्यायोचित नहीं होगा, और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी मनमर्जी या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं।

23. *महाराष्ट्र राज्य विरूद्ध ईश्वर पीराजी कलपत्री एवं अन्य*[8] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"24. इस संबंध में विधि की स्थिति को उपर्युक्त मामले में बहुत संक्षेप और स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद को रद्द करने के चरण पर, उच्च न्यायालय उसमें लगाए गए आरोपों की संभाव्यता, विश्वसनीयता या प्रामाणिकता की जाँच आरंभ करने के लिए न्यायोचित नहीं है....."

24. *महावीर प्रसाद गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य एवं अन्य*[9] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग विरल रूप से और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। यह निर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक चरण पर न्यायालय को इस बात की जाँच शुरू नहीं करनी चाहिए कि परिवाद में लगाए गए आरोपों के साक्ष्य द्वारा स्थापित होने की संभावना है या नहीं। न्यायालय को प्रथम

8 (1996) 1 SCC 542
9 (2000) 8 SCC 115

सूचना रिपोर्ट, परिवाद या आरोप-पत्र को निरस्त करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग विरलतम से विरल मामलों में ही करना चाहिए। हालांकि, न्यायालय के लिए यह भी न्यायोचित नहीं होगा कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता या अन्यथा की जाँच शुरू कर दे।

25. *राम बाबू विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य*[10] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने *भजन लाल* (पूर्वोक्त) और *ईश्वर पीराजी कलपत्री* (पूर्वोक्त) के मामलों में दिए गए निर्णयों को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया।

26. विचाराधीन मामले में, आरोप यह हैं कि प्रबंध निदेशक एम. बेलायुधा और याचिकाकर्तागण ने गरीब लोगों को 10,000/- रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करने के लिए गलत जानकारी दी, जिसे 12% से 16% ब्याज के साथ वापस किया जा सकता था। निर्दोष लोगों ने उनके द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन पर विश्वास करते हुए राशि जमा कर दी। याचिकाकर्ता क्र. 1 और उसके भागीदारों ने धन एकत्र किया और 23.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 20.44 हेक्टेयर भूमि की बिक्री के लिए झूठे और मिथ्या करार तैयार किए, जबकि ग्रामीणों ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी भी अपनी ओर से भूमि बेचने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया था। इस प्रकार, पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष भादसं की धारा 420, 409, 120ख, 411 और 414 तथा अधिनियम, 1978 की धारा 4 और 5 के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा कारित अपराधों के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जबकि इस याचिका में, याचिकाकर्तागण ने केवल भादसं की धारा 420 और 120ख के तहत दंडनीय अपराधों को रद्द करने की मांग की है।

27. इस प्रकार, याचिकाकर्तागण को अभियोजित किये जाने के लिए *प्रथम दृष्टया* अपराध बनते हैं। श्री तामस्कर द्वारा दिए गए तर्कों के समर्थन में याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत

---

10 (2009) 7 SCC 194

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दस्तावेजों की सत्यता या प्रामाणिकता की जाँच करना इस न्यायालय का कार्य नहीं है, जिनके माध्यम से यह तर्क दिया गया है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। यह विचारण न्यायालय का कार्य है कि वह उचित विचारण के बाद याचिकाकर्ता क्र. 1 और उसके भागीदारों के साथ-साथ अन्य लोगों के साक्ष्यों पर विचार करे और किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचे।

28. ऊपर बताए गए कारणों के आधार पर और वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकारिता का प्रयोग अभियोग-पत्र या सक्षम दांडिक न्यायालय के समक्ष लंबित मामले को रद्द करने के लिए करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका गुण-दोष रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

हस्ताक्षर

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By **Vartika Verma**